बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-02/एम0एम0-(बा0)-18/17-................../एम0, पटना, दिनांक-................

प्रेषक,

Fax/E-mail

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
जिला खनन कार्यालय, भोजपुर।

विषय:- बैंक गारंटी जप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नव बंदोबस्त टी0वी सैनिटोरियम बालूघाट के बंदोबस्धारी मेसर्स तारा रजत इन्क्लेव प्रा0लि0 (प्रो0-श्री त्रिलोकी प्रसाद) द्वारा बालूघाट संचालन के क्रम में अनियमितता बरतने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने के कारण उनके द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा ₹10,00,000/-(दस लाख) रूपया जप्त किया जाना है।

अत: निदेशित किया जाता है कि बैंक गारंटी के रूप में जमा उक्त ₹10,00,000/- (दस लाख) रूपये को जप्त करते हुए उसे खनन शीर्ष में जमा कराया जाय तथा एतद् सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

2. नव बंदोबस्त टी0वी सैनिटोरियम बालूघाट के उक्त बंदोबस्तधारियों से पुन: ₹15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपये की बैंक गारंटी भी जमा कराई जाय तथा एतद् सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-../एम0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-समाहर्त्ता, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-../एम0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-मेसर्स तारा रजत इन्क्लेव प्रा0लि0, माधोपुर, मनेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-..........937................/एम0, पटना, दिनांक ..17/2/18............

प्रतिलिपि:-IT Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/18

सरकार के अवर सचिव

D/MK/AL/ Draft Send